

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जोहन मिश्र पिता: पतरस लोहरा उराँव को खारा नोटिसा निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पुत्र अमृत मिश्र द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम बेहरिनवासा खाता नं-101, खेसरा सं० 1127, 1092, 2311, 1096 वर्ष 97-98 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अमृत मिश्र ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार है कि विषयगत भूमि ग्राम बेहरिनवासा खाता नं 101 प्लॉट नं 1127, 1092, 2311, 1096 सर्वे खतियान में किस्म रेगास दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अ0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जोहन मिश्र पिता पतरस लोहरा उराँव ग्राम बेहरिनवासा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
बेहरिनवासा	65	101	1127, 1092, 2311, 1096	1.76 रं०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितिकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बेलबा 21/08/21

अंचल अधिकारी,
बेलबा 21/08/21